राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

पर्यटन भवन, संजय मार्ग (विधायकपुरी थाने के समाने), जयपुर

क्रमांकः एफ.10(96) / सा.भ / पवि / 2024–25 /   दिनांकः

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः– नीलामी सूचना प्रकाशित करने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस विभाग की अनुपयोगी / नाकारा / अप्रचलित सामान की नीलामी सूचना की संलग्न कर निवेदन है कि निविदा सूचना को शीघ्र निम्नानुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने एवं आपकी वेबसाईट पर जारी कराने का श्रम करावें :–

1. एक अखिल भारतीय समाचार पत्र में नियमानुसार प्रकाशित कराने का श्रम करावे।
2. एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र में नियमानुसार प्रकाशित कराने का श्रम करावे।

संलग्नः– नीलामी सूचना प्रति।

(आनंद कुमार त्रिपाठी)
अतिरिक्त निदेशक (विकास)

क्रमांकः एफ.10(96) / सा.भ / पवि / 2024–25 /   दिनांकः

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, आयुक्त, पर्यटन विभाग, जयपुर।
2. उप निदेशक, ए.सी.पी, आई.टी, मुख्यालय, जयपुर को नीलामी सूचना सोफ्ट कॉपी में प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा विभागीय वेबसाईट पर भी जारी करवाने की व्यवस्था करावें।
3. नोटिस बोर्ड, मुख्यालय, जयपुर।

अतिरिक्त निदेशक (विकास)

Document certified by ANAND KUMAR TRIPATHI <ANANDKTRIPATHI@REDIFFMAIL.COM>.

Digitally Signed by ANAND KUMAR TRIPATHI
Designation : Joint Director
Date :17-10-2024 10:53:26

RajKaj Ref No.: 10884819

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग
पर्यटन भवन, संजय मार्ग (विधायकपुरी थाने के समाने), जयपुर

क्रमांकः एफ.10(96)/सा.भ/पवि/2024–25/ दिनांकः

नीलामी सूचना

विभाग के अनुपयोगी/नाकारा/अप्रचलित सामान (जहाँ जिस स्थिति में हैं) की नीलामी दिनांक 18.11.2024 को अपरान्ह 2.30 बजे की जानी हैं। इच्छुक बोलीदाता निर्धारित समय पर उपस्थित होकर बोली में भाग ले सकते हैं। बोली लगाने से पूर्व प्रत्येक बोलीदाता को अमानत राशि के रूप में रू. 36500/– (अक्षरे राशि रू. छत्तीस हजार पाँच सौ मात्र) कार्यालय में जमा कराने होगें। असफल बोलीदाता को यह राशि नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त दूसरी अधिकतम बोली लगाने वाले को छोडकर लौटा दी जायेगी। उसे उसी दिन अथवा दूसरे दिन लौटा दि जावेगी। सफल बोलीदाता को बोली की राशि नियमानुसार सभी करों आदि सहित उसी दिन कार्यालय समय में जमा करानी होगी एवं सामान को कार्यालय से उसी दिन उठाना होगा तथा नीलामी स्थल– पर्यटन भवन, संजय मार्ग विधायकपुरी थाने के सामने, जयपुर होगा। उक्त नीलामी को स्वीकृत करने, स्थगित करने, निरस्त करने का पूर्ण अधिकार समिति को होगा।

नीलामी योग्य सामान किसी भी कार्य दिवस में 11:00 AM से 5.00 PM तक देखा जा सकता हैं।

(आनंद कुमार त्रिपाठी)
अतिरिक्त निदेशक (विकास)

Data/PPv/H.L.2024

RajKaj Ref No.: 10834332

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

पर्यटन भवन, संजय मार्ग (विधायकपुरी थाने के समाने), जयपुर

क्रमांकः एफ.10(96)सा.भ./पवि/2024–25/ दिनांकः

समाचार पत्र में प्रकाशित नीलामी सूचना के क्रम में दिनांक 18.11.2024 को दोपहर 02:30 PM बजे पर्यटन भवन में पर्यटन विभाग के अनुपयोगी/नाकारा/अप्रचलित सामान को नीलाम किये जाने वाले सामान की नीलामी शर्तें निम्न प्रकार से होगी :–

1. सामान जिस स्थिति में है, जैसा है, स्वीकार करना होगा।
2. प्रत्येक बोली लगाने वाले व्यक्ति की बोली लगाने से पूर्व अमानत राशि रू. 36500/– (अक्षरे राशि रू. छत्तीस हजार पाँच सौ मात्र) कार्यकाल/नीलामी स्थल पर जमा करानी होगी।
3. सफल बोली बोली दाता को नीलामी समाप्त होने के तुरन्त बाद सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी तथा सामान 24 घन्टे के भीतर कार्यालय प्रांगण से उठाना होगा अन्यथा पर्यटन विभाग, जयपुर को नियमानुसार स्थान किराया वूसल करने का अधिकार होगा।
4. GST नियमानुसार पृथक से देना होगा।
5. सामान की निलामी रद्द/संशोधन करने का अधिकार कमेटी को होगा।
6. नीलामी योग्य सामान किसी भी कार्य दिवस में 11:00 AM से 5.00 PM तक देखा जा सकता है।
7. असफल बोली दाताओं की अमानत राशि बोली की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त अथवा स्वीकृत बोली की सम्पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरान्त लौटाई जायेगी।
8. द्वितीय अधिकतम बोली दाता की धरोहर राशि नीलामी पूर्ण की कार्यवाही होने के उपरान्त लौटाई जायेगी।
9. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

(आनंद कुमार त्रिपाठी)
अतिरिक्त निदेशक (विकास)

मैनें .... बोली की उपरोक्त सभी शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया गया है एवं मैं इनसे सहमत हूँ।

(हस्ताक्षर बोली दाता)

Document certified by ANAND KUMAR TRIPATHI <ANANDKTRIPATHI@REDIFFMAIL.COM>.

Digitally Signed by ANAND KUMAR TRIPATHI
Designation : Joint Director
Date :21-10-2024 05:05:14

RajKaj Ref No.: 10334832